विवरण

क्र०सं० नाम तथा पदनाम

सर्व श्री,

1. चरण सिंह, पी आई
2. जगपाल सिंह, फोन मेकेनिक
3. अजय कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक
4. आर एस मेहता, एस एस
5. डी पी शर्मा, फोन मेकेनिक
6. वी०पी० शर्मा, डब्ल्यू/एम
7. जय सिंह, डब्ल्यू एम
8. दादरी राम, टी टी ए
9. एम एल चांदना, ए ई
10. वी के सहगल, एस डी ओ पी
11. एस एस मिश्रा, टी ओ
12. अनिल अग्रवाल, तकनीशियन
13. ए के राय, आर/एम

एम टी एन एल, मुंबई

1. के० एम० अल्वा, एस डी ई
2. एस एम चौरसिया, फोन मेकेनिक
3. ए० आर० गावडे, वायरमेन
4. आर के शेट्टी, तकनीशियन

विदेशों में हिन्दुओं द्वारा शव-दाह

2782. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के किस-किस देश में हिन्दुओं को शव-दाह की अनुमति नहीं है;

(ख) क्या हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शव-दाह अनिवार्य है और उन्हें इस अधिकार का प्रयोग न करने देने का अर्थ हिन्दुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा उन देशों की सरकारों से हिन्दुओं को शव-दाह की अनुमति दिलाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) सउदी अरब, कतर, जोर्डन, कुवेत, सेनेगल, गाम्बिया, माली, ट्यूनीशिया, इस्तानबुल, मारितानिया, केप वर्डे द्वीप, गिनी बिताउ, यूनान, मालदीव, इस्राइल, लीबया, बुरकीना फासो तथा माल्टा में शवों के दाह-संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) जी नहीं। उपर्युक्त देशों में मृतक के सबसे निकट के संबंधी, अगर वे चाहें तो शवों को या तो सबसे निकट के देश, जहां दाह-संस्कार की अनुमति है, में ले जा सकते हैं या दाह-संस्कार के लिए गृह देश ले जा सकते हैं। हालांकि उपर्युक्त किसी भी देश में दफनाने पर प्रतिबंध नहीं है।

(ग) इन देशों में, संबद्ध अधिकारियों के साथ जब यह बात उठाई गई, तो उनमें से कुछ ने हमारा अनुरोध मानने में असमर्थ होने के लिए औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया है क्योंकि इससे उनके अपने उन कानूनों प्रथाओं तथा औपचारिक विधिक मत (फतवा) का उल्लंघन होता है, जिसके अन्तर्गत शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ दफनाने द्वारा ही निर्धारित है। हालांकि यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस आधार पर हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है तथा ये नियम अन्य देशों के राष्ट्रिकों या अन्य धर्म को मानने वालों पर भी लागू होता है।

Procurement of Turbo-Generating sets for Sardar Sarovar Project

2783. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non availability of OECF loan for procurement of Turbo-Generating sets for River Bed Power House of the Sardar Sarovar Project is being delayed;

(b) if so, whether alternatives are being considered by the Union Government;

(c) whether Government are aware that a stalemate is created with regard to non-availability of OECF loan and non-operating of Letter of Credit with M/s. Sumitomo Corporation, Japan; and

(d) if so, the action being taken or proposed by Government to resolve the stalemate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) In the 7th meeting of the Review Committee for Narmada Control Authority (RCNCA) held on 13th

November, 1996 at New Delhi under the Chairmanship of Union Minister of Water Resources, it was agreed that the negotiating team as already set up by Ministry of water Resources in October 1996, should hold talks with M/s. Sumitomo Corporation, Japan, the suppliers of the Turbo-generating sets for the river bed power house of Sardar Sarovar Project, and expedite early procurement and installation of Turbo generating sets already manufactured and stored or in advance stage of fabrication in Japan. It will lead to further course of action in this regard.

Indo-Russian agreement on defence matters

2784. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed between India and Russia in respect of defence matters;

(b) whether the agreement covers the area of military interest equipments and joint exercises etc; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An Agreement on Service-to-Service co-operation between India and the Russian Federation was signed in October, 1996. This Agreement provides for co-operation in the field of training, visits of Military Specialists to each other's country, preparation of programmes of participation in joint military exercises, participation in seminars/symposia and exchange of good-will visits.

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और क्षेत्र के बीच अनुपात

2785. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई और प्रत्येक राज्य में शामिल कुल क्षेत्र के बीच अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उन राज्यों के दावों पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई और राज्य के कुल शामिल क्षेत्र के बीच अनुपात कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन): (क) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) नए राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन करने का मानदण्ड निम्नलिखित हैं:—

(i) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली सड़कें।

(ii) सीमावर्ती देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) ऐसी सड़कें जिनकी पर्याप्त लम्बाई पर यातायात अत्यधिक सघन हो; और

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी काफी कम हो जाए और उससे पर्याप्त बचत हो।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग का अभिप्राय स्थानीय/राज्यीय हितों से अलग राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है। सड़कें की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा किसी प्रादेशिक क्षेत्र, जनसंख्या अथवा राज्य के आधार पर नहीं बल्कि पूरे देश को ध्यान में रखते हुए की जाती है।